ment Commission (Income Tax/Wealth Tax) (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Settlement Commission (Income Tax/Wealth Tax) (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Settlement Commission (Income Tax/Wealth Tax) (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1976, after rule 6 the following rule shall bt added as rule 6A, namely :—

"6A. Contributions to General Provident Fund and Contributory Provident Fund :

(a) The Chairman and Members shall be entitled to make contributions towards General Provident Fund Account under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 in the same manner as any other Central Government servants.

(b) Such of the Chairman and Members as are re-employed after retirement from Government Service shall be entitled to contribute towards the Contributory Provident Fund Account under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants."

[No. 22/80/F. No. 21/47/80-Ad. I-A (C)]

सा० का० नि० 1177.—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 में नियम 11 के पश्चात् नियम 11क के रूप में निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"11क.—साधारण भविष्य निधि और अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय :

(क) अध्यक्ष और सदस्य साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन साधारण भविष्य निधि खाते में उसी रीति से अभिदाय करने के हकदार होंगे जिस रीति में केन्द्रीय सरकार का कोई अन्य सेवक है।

(ख) ऐसा अध्यक्ष और ऐसे सदस्य जो सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुनः नियोजित किए जाते हैं, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार के पुनः नियोजित सेवकों को लागू हों, अभिदायी-भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अधीन अभिदायी भविष्य निधि खाते में अभिदाय करने के लिए हकदार होंगे।"

[सं० 23/80/फा० सं० 22/29/80-ए०डी०-1-ए(सी)]

कैलाश पतिवत्त टैण्डन, डेस्क अधिकारी

G.S.R. 1177.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property), Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, after rule 11, the following rule shall be added as rule 11A, namely :—

"11A. Contributions to General Provident Fund and Contributory Provident Fund :

(a) The Chairman and members shall be entitled to make contributions towards General Provident Fund Account under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 in the same manner as any other Central Government servant.

(b) Such of the Chairmen and members as are re-employed after retirement from Government service shall be entitled to contribute towards the Contributory Provident Fund Account under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants."

[No. 23/80/F. No. 22/29/80-Ad. I-A (C)]

KAILASH P. D. TONDON, Desk Officer

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1980

सा० का० नि० 1178.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पद) भरती नियमावली, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पद) भरती (संशोधन) नियमावली, 1980 कहा जाएगा।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पद) भरती नियमावली 1968 की अनुसूची में, "उप महाप्रबन्धक" के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 में :—

(i) कालम 7 में वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

टिप्पणी 1 : संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार उन अभ्यर्थियों के संबंध में अर्हताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है जो अन्यथा सुशिक्षित हैं।

टिप्पणी 2 : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के संबंध में, यदि चुनाव के किसी भी दौर में संघ लोक सेवा आयोग की राय में, उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना न हो तो उनके अनुभव के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानसार छट दी जा सकती है।"